

## अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज)

### 1. केवाईसी क्या है?

'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) ग्राहक परिचय प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिभाषिक पद है। केवाईसी एक समुचित सतर्कता है, जिसका अपने ग्राहकों के पहचानने के लिए तथा उनके साथ कारोबार करते समय संबद्ध जानकारी का पता लगाने के लिए बैंकों को इस्तेमाल करना है। चोरी, धोखाधड़ी, धन-शोधन तथा आतंकवादियों को हो रहे वित्तपोषण का पता लगाने के लिए तथा इस दृष्टि से कि बैंक और ग्राहक एक दूसरे को जान सकें; केवाईसी संबंधी नीतियों का वैश्विक रूप से महत्व बढ़ रहा है।

### 2. धन-शोधन क्या है?

धन-शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप से प्राप्त धन को इस प्रकार परिवर्तित करना मानो वह वैध स्रोतों से प्राप्त धन प्रतीत हो। विश्व-भर में धन-शोधन का काम अपराध करने वाले व्यक्ति करते हैं ताकि उससे संबद्ध अपराधिक कार्यकलाप, जैसे- औषधियों/शस्त्रों के अवैध व्यापार, आतंकवाद और फिरौती को छुपाया जा सके। सभी गैर-कानूनी वित्तीय लाभ धन-शोधन को बढ़ावा देते हैं।

### 3. केवाईसी संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

केवाईसी संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोई भी खाता खोलने के पहले ग्राहकों के संबंध में उचित सतर्कता बरतें ताकि बैंक अपने ग्राहकों का सकारात्मक परिचय पा सके। यही इसका उद्देश्य है। ग्राहकों के कठोरतापूर्वक धन की सुरक्षा की दृष्टि से इसमें ग्राहकों का भी हित है। केवाईसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य है जानबूझकर या अनजाने में आपराधिक व्यक्तियों की ओर से धन-शोधन के लिए बैंकों को इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाना। भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी दिशानिर्देश बैंकों को अपने ग्राहकों से तीन प्रमाण प्राप्त करने के अधिकार देते हैं। वे हैं,

- फोटोग्राफ
- पहचान का प्रमाण
- वर्तमान पते का प्रमाण

### 4. केवाईसी संबंधी बैंक की नीति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने केवाईसी नीति तैयार की है, जिसके अनुसार ग्राहक की पहचान और पते के रूप में बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं।

पहचान का प्रमाण निम्नलिखित में से कोई एक	पते का प्रमाण निम्नलिखित में से कोई एक
पासपोर्ट	हाल का बिजली का बिल*
पैन कार्ड	हाल का टेलीफोन बिल*
वाहन चलाने का स्थायी लाइसेन्स	किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण से पत्र
मतदाता पहचान पत्र	नियोजन से प्राप्त पत्र (बशर्ते बैंक उससे संतुष्ट हो)
कर्मचारी पहचान पत्र/ ऐसे प्रतिष्ठित नियोजन से पत्र जिसका खाता बैंक के पास है।	बैंक खाता विवरण / पासबुक (छह महीने से अधिक पुराना न हो और बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित हो)

\* (6 महीने से अधिक पुराना न हो)

यह ऐसे प्रमाणों की एक सूचक सूची है, जो स्वीकार्य है और यदि कोई विशिष्ट आवश्यकता हो तो संबंधित शाखा उचित रूप से उसका ध्यान रखेगी।

### 5. ग्राहक स्वीकृति दिशानिर्देश क्या है?

ग्राहक स्वीकृति दिशानिर्देशों से तात्पर्य ऐसे सामान्य निदेशों से है जिनका खाता खोलने समय बैंकों द्वारा पालन किया जाता है। इन दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि किसी गुणनाम अथवा झूठे/वेनामी नाम पर कोई खाता नहीं खोला जाना चाहिए। इनमें ग्राहक से बैंक के जोखिम का स्तर दिया गया है। यदि केवाईसी संबंधी जानकारी/दस्तावेज संतोषजनक नहीं हैं तो बैंक संबंधित खाता (संभाव्य ग्राहक के लिए) खोलना अस्वीकार कर सकेगा अथवा किसी मौजूदा ग्राहक से अपना रिश्ता समाप्त कर सकेगा।

यदि किसी एकल खातेदार का सिबिल श्रेणी निर्धारण 700 से नीचे पाया जाता है तो उसे चेक बुक सुविधा नकारने का अधिकार बैंक के पास है। तथापि नकदी जमा, नकदी आहरण, चेक जमा करना, एटीएम, डेबिट/एनईएफटी/आरटीएस जमा जैसी अन्य सुविधाएं उसे उपलब्ध होंगी।

### 6. ग्राहक पहचान क्रियाविधि क्या है?

ग्राहक पहचान का अर्थ है अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दस्तावेजों का और ग्राहक का मिलान करना तथा भरोसेमंद स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज का उपयोग कर उसकी पहचान को सत्यापित करना।

### 7. ग्राहक परिचय रूपरेखा (प्रोफाइल) क्या है?

ग्राहक परिचय रूपरेखा में नाम, पता, वैयक्तिक व्यौर- जैसे शैक्षिक अर्हता, वैवाहिक स्थिति, कारोबारी कार्यकलाप अथवा व्यवसाय का स्वरूप, आय का स्तर, आय का स्रोत, परिसंपत्तियों के व्यौर, खाता खोलने का प्रयोजन, एक माह में लेनदेनों का संभाव्य मूल्य, एक माह में लेनदेनों की संख्या नकद लेनदेनों की संख्या और मूल्य आदि ग्राहकों के परिचय से संबंधित जानकारी होती है। इससे बैंक को संबंधित ग्राहक की जरूरतें समझने में तथा ग्राहक के कार्यकलाप से लेनदेनों के स्तर की तुलना करने में सहायता मिलती है।

### 8. ग्राहक के खाते का श्रेणीकरण क्या होता है?

भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों में ग्राहक परिचय रूपरेखा में अंतर्निहित जोखिम नाटकों पर निर्भर करते हुए 'उच्च जोखिम', 'मध्यम जोखिम' और 'निम्न जोखिम' के तहत खातों का श्रेणीकरण आवश्यक है। इससे नियमित रूप से लेनदेनों की निगरानी की जा सकती है और संदेहों का निराकरण करने हेतु आवश्यक पृष्ठछाछ की जा सकती है।

### 9. खातों की आवधिक समीक्षा और नये केवाईसी दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम की श्रेणी के आधार पर आवधिक अंतरालों पर खातों की समीक्षा की जानी है। समीक्षा के समय अथवा संबंधित खाते के संचलन के आधार पर बैंक जब कभी मौजूदा ग्राहकों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझता है तब नये केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह भी आवश्यक है कि जब कभी हस्ताक्षरकर्ताओं, आदेशपत्र धारकों खाताधारकों से इतर के संबंध में लाभकारी स्वामियों आदि में कोई परिवर्तन होता है तो ड्राफ्ट, विप्रेषण आदि जैसे उच्चतम मूल्य वाले एकल आदेश लेनदेनों के लिए बैंक से संपर्क करते समय केवाईसी दस्तावेज आवश्यक हैं।

### 10. छोटे जमाकर्ताओं के लिए केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं में छूट

छोटे जमा खाता धारकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी क्रियाविधियों को सरल बनाया है। यह ऐसे खाताधारकों के लिए है जो बैंक के अपने सभी खातों में मिलाकर कुल 50,000/- रुपये से कम का शेष रखना चाहते हैं। इन सभी खातों को मिलाकर एक वर्ष में कुल 1 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि उपस्थित नहीं है। जिन मामलों में जमाकर्ता आवश्यक केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता, वहां किसी विद्यमान खाताधारक, जिसने पूरी केवाईसी क्रियाविधि पूरी की है, से परिचय कराया जाना पर्याप्त है। परिचयकर्ता को उस जमाकर्ता का फोटोग्राफ तथा पता प्रमाणित करना होगा, जिसे खाता खोलना है। बैंक ग्राहक के परिचय और पते के लिए दस्तावेज के रूप में यदि कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध हो तो उसे भी स्वीकार कर सकता है।

यदि उसके बैंक खातों की शेषराशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है अथवा उस खाते में एक वर्ष में कुल जमा 1 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो ग्राहक को संपूर्ण सामान्य केवाईसी क्रियाविधियों को पूरा करना आवश्यक है, यदि ग्राहक उस खाते के लेनदेन जारी रखना चाहता है।

### 11. 'नकद लेनदेनों की उच्चतम सीमा और निगरानी' संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

- यदि दिशानिर्देश केवाईसी सिद्धांतों का भाग है।
- ग्राहकों के खातों में राशि नामे डालकर या चेक जमा करने पर ही बैंक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के यात्री चेक, मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण और तार अंतरण जारी करते हैं, नकदी पर नहीं।
  - 50,000 हजार रुपये और उससे अधिक की राशि के मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरणों और यात्री चेकों को बैंक में ग्राहक के खाते में जमा द्वारा या अन्य बैंकिंग माध्यम द्वारा ही भुनाया जा सकता है और न कि नकदी द्वारा।
  - साथ ही, 50,000 रुपये से अधिक की राशि के नकद लेनदेनों के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएनएन) आवेदन पर दर्शाना आवश्यक है। ग्राहकेंतर व्यक्तियों को लेनदेन करते समय पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  - एक महीने में 10 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के कुल नकद लेनदेनों पर बैंक बारीकी से निगरानी रखते हैं। इन खातों के व्यौर हर महीने भारत सरकार को सूचित करने पड़ते हैं। जब भी बैंक द्वारा ऐसे लेनदेनों की जानकारी मांगी जाए, तब ग्राहक को यह प्रस्तुत करनी होगी।

केवाईसी क्रियाविधि बैंक और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए है।

**BBK**  **بنك البحرين والكويت**  
BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT B.S.C.

Mumbai : Jolly Maker Chambers-II, Gr. Flr., 225, Nariman Point, Mumbai - 400021.  
Tel.: 022-2282 3698 Fax : 022-2204 4458, 2284 1416 email : mumbai@bbkindia.com  
Hyderabad : 6-3-550, L.B.Bhawan, Akashganga, Somajiguda, Hyderabad - 500 082.  
Tel.: 2339 8219 / 20, 2330 5859 Fax : 2339 8218 / 2337 5977

**BBK**  **بنك البحرين والكويت**  
BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT B.S.C.

Mumbai : Jolly Maker Chambers-II, Gr. Flr., 225, Nariman Point, Mumbai - 400021.  
Tel.: 022-2282 3698 Fax : 022-2204 4458, 2284 1416 email : mumbai@bbkindia.com  
Hyderabad : 6-3-550, L.B.Bhawan, Akashganga, Somajiguda, Hyderabad - 500 082.  
Tel.: 2339 8219 / 20, 2330 5859 Fax : 2339 8218 / 2337 5977